रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2012/आषाढ़ 5, 1934
No. 307] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2012/ASADHA 5, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2012

सा.का.नि. 504(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए तथा भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षार्थी अंतिम परीक्षा) नियमावली, 1999 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने हेतु विलोपित की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा की अंतिम परीक्षा) नियमावली, 2012 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अकादमी" का अर्थ है सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी;

(ख) "निदेशक" का अर्थ है अकादमी का निदेशक;

(ग) "अंतिम परीक्षा" का अर्थ है परीक्षण के अंत में अकादमी के निदेशक द्वारा संचालित की गई परीक्षा जिसमें आवधिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक भी सम्मिलित किए जाते हैं;

(घ) "परिवीक्षाधीन व्यक्ति" का अर्थ है परिवीक्षा पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ।

(2) इसमें प्रयुक्त एवं परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं व्यक्तियो, परन्तु जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) में परिभाषित किए गए हैं, का, अर्थ उस अधिनियम में उन्हें दिया गया संबंधित अर्थ होगा ।

3. बुनियादी पाठ्यक्रम – (1) परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण एवं अध्ययन का पाठ्यक्रम भाग I: अनिवार्य इन्डोर विषय, भाग II: अनिवार्य आउटडोर विषय तथा भाग III अर्हक विषय समाविष्ट करते हुए तीन भागों में निम्नानुसार होगा :-

<u>भाग 1 : अनिवार्य इन्डोर विषय</u>

पेपर I :	आधुनिक भारत में पुलिस	-75 अंक
पेपर II :	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	-100 अंक
पेपर III :	भारतीय दंड संहिता, 1860	-100 अंक
पेपर iv :	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	-100 अंक
पेपर v :	विशेष कानून	-50 अंक
पेपर vi :	अपराध निवारण एवं अपराध विज्ञान	-75 अंक
पेपर vii :	अन्वेषण - I	-75 अंक
पेपर viii :	अन्वेषण - II	-75 अंक
पेपर ix :	फॉरेंसिक औषधि	-50 अंक
पेपर x :	फॉरेंसिक विज्ञान (सिद्धांत एवं व्यावहारिक)	-75 अंक
पेपर xi :	सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना	-75 अंक
पेपर xii :	आंतरिक सुरक्षा	-75 अंक
पेपर xiii :	पुलिस नेतृत्व एवं प्रबंधन	-100 अंक
पेपर xiv :	आचार शास्त्र एवं मानव अधिकार	-75 अंक
पेपर xv :	सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी	-100 अंक
		कुल 1200 अंक

<u>भाग II अनिवार्य आउटडोर विषय</u>

1.	शारीरिक स्वस्थता	- 80 अंक
2.	ड्रिल	- 100 अंक
3.	हथियार प्रशिक्षण एवं फायरिंग	- 80 अंक
4.	एक्वीस्ट्रीयन	- 40 अंक
5.	प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस ड्रिल	- 20 अंक
6.	स्विमिंग	- 25 अंक
7.	फील्ड क्रॉफ्टस एवं टैक्टिक्स एवं मानचित्र अध्ययन	- 200 अंक
8.	निरस्त्र काम्बेट	- 30 अंक
9.	योग	- 25 अंक
		कुल 600 अंक

भाग III : अर्हक विषय

1. पुलिस दूरसंचार एवं नियंत्रण कक्ष प्रचालन
2. मोटर तंत्र एवं ड्राईविंग
3. देवनागरी लिपि में हिंदी
4. क्षेत्रीय भाषाएं

(2) उप-नियम (i) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विषय के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का परिनिर्धारण प्रत्येक बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा उक्त विस्तृत पाठ्यक्रम की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को उसके अनुमोदनार्थ अग्रेषित की जाएगी।

4. आवधिक परीक्षाएं एवं अंतिम परीक्षा – (1) अकादमी में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आवधिक परीक्षाओं एवं अंतिम परीक्षा में उपस्थित होना होगा ।

(2) प्रशिक्षण के कोर्स के दौरान प्रत्येक विषय में संचालित की जाने वाली आवधिक परीक्षाओं की तिथि एवं समय और पाठ्यक्रम का परिनिर्धारण प्रत्येक बुनियादी कोर्स के शुरू होने से पूर्व निदेशक द्वारा किया जाएगा ।

(3) निदेशक आवधिक परीक्षाओं एवं अंतिम परीक्षा का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(4) जिस तिथि पर तथा जिस स्थानों पर आवधिक परीक्षाएं एवं अंतिम परीक्षा संचालित की जानी है, उन्हें निदेशक द्वारा अग्रिम तौर पर अधिसूचित किया जाएगा ।

5. <u>आवधिक परीक्षा एवं अंतिम परीक्षा में अर्हक अंक :-</u> (1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति से प्रत्येक अनिवार्य इन्डोर विषय एवं प्रत्येक अनिवार्य आउटडोर विषय में प्रत्येक आवधिक परीक्षा एवं अंतिम परीखा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

(2) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति से केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक द्वारा यथा निर्धारित किए गए प्रत्येक अर्हक विषय में दक्षता मानक को प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा ।

6. <u>परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर :-</u> जहां कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियम 5 के उप नियम (1) के तहत यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तब उनके मामले को भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 8, 9, 10, एवं 12 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 11058/01/2010-अ.भा.से.-III]

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव